Note.-The deputation of Indian Police Service officers shall be regulated in terms of instructions or orders relating to the deputation as contained in the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No.I-21023/29/2007-IPS-III, dated the 30th March, 2010, as amended from time to time.		

[F. No. 23011/22/2020-PT]

CHANDAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 10.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (अपर पुलिस अधीक्षक / उप कमांडेंट) भर्ती नियम, **2022** को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया हैं या करने का लोप किया गया हैं, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में अपर पुलिस अधीक्षक/उप कमांडेंट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (अपर पुलिस अधीक्षक/उप कमांडेंट) भर्ती नियम, 2025 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **पद की संख्या , वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** पद की संख्या , उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति .–**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछ़ड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
अपर पुलिस अधीक्षक/उप कमांडेंट।	03* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु.67700-208700)।

चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के संबंध में लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	**प्रतिनियुक्ति द्वारा।**

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में वे परिस्थितियाँ जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र पुलिस संगठनों के अधिकारी,- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपये) में सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपये) में पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात्:- आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; (ii) फील्ड क्राफ्ट और रणकौशल से संबंधित आउटडोर और इनडोर प्रशिक्षण की योजना, समन्वय, शिक्षण और संचालन में अनुदेशक या प्रशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; और (iii) मानचित्र पढ़ने और रणकौशल या विस्फोटक हथियारों के क्षेत्र में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र पुलिस संगठनों द्वारा	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

संचालित अर्हित न्यूनतम दो प्रमाणित पाठ्यक्रम। वांछनीय: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में डिग्री ; और (ii) साधारण प्रशासन में दो वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं. 23011/01/2024-पु.प्र.]

चंदन कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 12th February, 2025

G.S.R. 10.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Additional Superintendent of Police/ Deputy Commandant) Recruitment Rules, 2022 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Additional Superintendent of Police / Deputy Commandant under the Ministry of Home Affairs in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, namely:-

1. **Short title and commencement. -**(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Additional Superintendent of Police / Deputy Commandant) Recruitment Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification. -** No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing and in the consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. –**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Additional Superintendent of Police/Deputy Commandant.	03*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(5)	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	**(12)**	**(13)**
Deputation: Officers of the Central Armed Police Forces or State or Union territory Police organisations,- (a)(i) holding analogous post in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis on posts in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- Essential: (i) Bachelors degree from a recognised university or institute; (ii) three years experience as Instructor or Trainer in planning, coordination, teaching and conduct of outdoor and indoor training related to field craft and tactics; and (iii) qualified minimum two certified courses conducted by the Central Armed Police Force or State or Union territory Police organisations in the areas of map reading and tactics or explosive weapons. Desirable: (i) Degree in Law from a recognised university or institute; and (ii) two years experience in general administration. **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date for receipt of application.		

[F.No. 23011/01/2024-PT]

CHANDAN KUMAR, Under Secy.

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 11.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और जल संसाधन मंत्रालय, फरक्का बैराज परियोजना (सिस्टर एंड नर्स) भर्ती नियम, 2013 के अधिक्रमण में, जहां तक यह सिस्टर के पद से संबंधित है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, फरक्का बैराज परियोजना में सिस्टर के पद पर भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ–** इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, फरक्का बैराज परियोजना, सिस्टर (समूह-ख) पद भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर–** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स का स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं आदि–** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **छूट प्रदान करने का अधिकार-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा छूट प्रदान कर सकती है।